Form No.III

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

ग्राम पंचायत मटवाडा बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या 22/2020   दायरा तिथि: 18.12.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रकबा कमी पूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुदियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतन न्यायालय के निर्णय RRT 2015 Page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022 (2) Page 1864 में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LR Act की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण गुनावगुण पर निर्णित किया जा रहा है। इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे। सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	